

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 64 / 2021-22

आदेश की कं०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
1 22/10/21	आवेदक/आवेदिका राजकुमार राम, पिता स्व० देवनारायण राम जाति -घांसी ,ग्राम+ पोस्ट+थाना पालकोट, जिला- गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)B के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया। <u>भूमि का विवरणी</u> <table border="1" data-bbox="344 873 1273 1102"> <thead> <tr> <th>राजस्व ग्राम</th> <th>थाना संख्या</th> <th>संख्या खाता</th> <th>प्लॉट संख्या</th> <th>रकबा (एकड़)</th> <th>किस्म जमीन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पालकोट</td> <td>63</td> <td>185</td> <td>1375</td> <td>0.15 एकड़</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> कुल 0.15(बारह डिसमील) चौहदी प्लॉट सं० 1375 :- उत्तर में - सड़क ,दक्षिण में - दिवाकर नंद का दोन, पूरब में - नीज विक्रेता का टांड, पश्चिम में - नीज बिक्रेता का टांड। <u>जमीन विक्रेता की विवरणी</u> आवेदक - आवेदक राजकुमार राम, पिता स्व० देवनारायण राम, जाति- घांसी ,ग्राम+ पोस्ट+थाना पालकोट, जिला- गुमला <u>जमीन क्रेता की विवरणी</u> क्रेता - बिरजु नायक, पिता स्व० टेपरु प्रधान, जाति- घांसी, ग्राम वो पोस्ट तपकारा, थाना- पालकोट, जिला- गुमला। आवेदक उक्त भूमि को प्रस्तावित क्रेता बिरजु नायक, पिता स्व० टेपरु प्रधान, जाति- घांसी, ग्राम वो पोस्ट तपकारा थाना- पालाकोट जिला- गुमला को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रुपये 2,55,000	राजस्व ग्राम	थाना संख्या	संख्या खाता	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)	किस्म जमीन	पालकोट	63	185	1375	0.15 एकड़		
राजस्व ग्राम	थाना संख्या	संख्या खाता	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)	किस्म जमीन									
पालकोट	63	185	1375	0.15 एकड़										

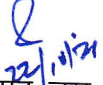


2

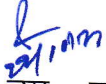
(दो लाख पच्चपन हजार)रु० की आवश्यकता पड़ने पर भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी, पालकोट को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्टेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, पालकोट के कार्यालय के पत्रांक:-575(ii)/रा० दिनांक:- 22/10/2021 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदिका को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार का कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी जमीन है एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जाति समुदाय के अन्तर्गत दोनों घांसी जाति के हैं, दोनों एक ही थाना एवं जिला के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, पालकोट के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त विवरण की भूमि को आवेदक राजकुमार राम, पिता स्व० देवनारायण राम, जाति- घांसी, ग्राम+ पोस्ट+थाना पालकोट, जिला- गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि अथवा जिला निबंधन कार्यालय, गुमला के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)B के अन्तर्गत एतत् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बसिया (गुमला)




भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बसिया (गुमला)